न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (म0प्र0)

<u>दांडिक प्रकरण क.-111/15</u> संस्थापित दिनांक-22.04.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर

....अभियोजन

विरुद्ध

- त्रिलोक सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव, उम्र 68 वर्ष,
- शिशुपाल सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बडेरा थाना चंदेरी तहसील चंदेरी. जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :— (आज दिनांक को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 294, 353, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.10.2013 को दिन के 12.30 बजे चन्द्रभान के मकान के सामने सडक पर ग्राम बडेरा में लोक स्थान पर आगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवती यादव को मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर क्षोभ कारित कर, भगवतीबाई जो कि लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रही थी उसे कर्तव्यों से निवारित करने के आशय से उसके साथ धक्का मुक्की कर उसके कागज फाड़ कर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.02.2013 को 12.30 बजे ग्राम बडेरा में पल्स पोलिया कार्यक्रम के तहत बच्चों को पोलियों की दवा पिलाने गई थी। वह जैसे ही चन्द्रभान के मकान के पास पहुँची तो वहाँ पर शिशुपाल व त्रिलोक यादव दोनों

मिले और उससे बोले की तुम बस कन्डेक्टर झगडे वाले केस में राजीनामा करवा दो, तो उसने कहा कि उसे उस केस से क्या लेना देना है तुम लोग जाने दो तो इसी बार पर से शिशुपाल व त्रिलोक सिंह यादव ने उसे मॉ—बहन की बुरी—बुरी गालिया दी थी, और दोनों ने धक्का—मुक्की कर दी, और उसके कागज फाड दिये, और बच्चों को दवा नहीं पिलाने दी, सरकारी काम करने में बाधा पहुँचाई और दोनों कहने लगे कि यदि तुमने राजीनामा नहीं करवाया तो जान से खत्म कर देगे। घटना हीराबाई ने देखी है और गांव के अन्य लोगों ने भी देखी है।

- 03— फरियादी भागवती बाई के द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में के अपराध क्रमांक 63 / 13 अंतर्गत धारा 353, 186, 294, 506, 34 भा0दं0िव के तहत अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना की गई, बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.01.2017 को फरियादी भगवती बाई ने अभियुक्तगण से राजीनामा करने वाबत अंतर्गत आवेदन 320 (1) व 320 (2) द0प्र0सं0 के प्रस्तुत किये। अभियुक्तगण पर आरोपित धाराये 294, 506 बी, भा0दं0वि0 शमनीय प्रकृति की होने से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार करते हुये पृथक से उक्त दिनांक 09.01.2017 को अभियुक्तगण को भा0दं0वि0 की धारा 294 506 बी के आरोप से राजीनामें के आधार पर दोष मुक्त घोषित किया गया, तथा धारा 353 भा0दं0वि0 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 05— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1 क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.02.2013 को दिन में 12.30 बजे चन्द्रभान के मकान के सामने सड़क पर ग्राम बड़ेरा में फरियादी भगवती बाई जो कि लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्यों को निर्वाहन कर रही थी, उसे कर्तव्यों से निवारित करने के आशय से उसके साथ धक्का—मुक्की कर कागज फाड कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
 - 2. दोष सिद्धी अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u> विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निषकर्ष

- 07— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामा एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी भगवती बाई (अ०सा० 1) सिहत हीराबाई (अ०सा० 2) के कथन न्यायालय में कराये हैं। फरियादी भगवतीबाई (अ०सा० 1) का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि 3—4 वर्ष पहले वह आगनवाडी कार्यकर्ता होने के नाते ग्राम बडेरा में पोलियों की दवा पिलाने गई थी वहां पर करीबन 12—01 बजे चन्द्रभान सिंह के मकान के पास आरोपीगण मिले थे और आरोपीगण ने अंसार कन्डेक्टर से राजीनामा करने के लिये उससे कहा था तथा उसके मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ गाली—गलौच की थी।
- 08— फरियादी भगवतीबाई (अ०सा० 1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों का उसके सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन हुआ है और न ही बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त कथनों को कोई चुनौती दी गई है। फरियादी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 1 से होती है। अतः यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक 25.02.2013 को 12.30 बजे आरोपीगण ने भगवतीबाई (अ०सा० 1) को जब वह ग्राम बडेरा में जब वह पोलियों की दवा पिला रही थी तो चन्द्रभान सिंह के मकान के पास अंसार से राजीनामा कराने से मना करने पर गालियां दी थी।
- 09— भगवतीबाई (अ0सा0 1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह भी स्पष्ट किया है कि गाली—गलौच की घटना के बाद उसने पोलियों की दवा पिला दी थी और अपना कार्य करके वापस पुलिस थाना चंदेरी में आकर घटना की सूचना दी थी। फरियादी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण ने उसके कोई दस्तावेज नहीं फाडे तथा उसने पुलिस ने पोलियों टीकाकरण अभियान के दस्तावेज प्र0पी0 5 लगायत 8 फटे हुये नहीं दिये थे उक्त दस्तावेज पुलिस के मांगने पर दे दिये थे। इस साक्षी का स्पष्ट कहना है कि उसने दस्तावेज पुलिस को दिये थे तो वह फटे हुये नहीं थे।
- 10— अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण में प्रस्तुत प्र0पी0 5 लगायत 8 के दस्तावेज अभियुक्तगण ने फाडे थे और फरियादी के साथ धक्का—मुक्की भी की थी एवं उसके द्वारा किये जा रहे कार्य में बाधा पहुँचाई थी, परन्तु फरियादी भगवतीबाई (अ०सा० 1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में उपरोक्त संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी को पक्षविरोधी कर अभियोजन के द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु उपरोक्त बिन्दुओं पर फरियादी ने अभियोजन का लैंस मात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी ने अभियुक्तगण से घटना दिनांक को विवाद तो होना बताया है परन्तु अभियुक्तगण

ने गाली—गलौच के अलावा फरियादी के कार्य में बांधा उत्पन्न करी या उसके दस्तावेज फाड़े इस संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये है। फरियादी का यह स्पष्ट कहना है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ न तो धक्का—मुक्की की और न ही उसके कागज फाड़े। फरियादी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके कार्य में अभियुक्तगण ने कोई बाधा नहीं पहुँचाई बल्कि अभियुक्तगण से उसका मामूली मुह—वाद हुआ था।

- 11— घटना के अन्य साक्षी हीराबाई (अ०सा० 2) जो कि आशा कार्यकर्ता है और अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय फरियादी के साथ थी, ने अभियोजन का लैस मात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा घटना की जानकारी होने से ही इंकार किया है। यह साक्षी घटना के संबंध में पुलिस को भी कोई बयान न देना बताती है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु इस साक्षी ने भी अभियोजन का लैस मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अतः आरोपित अपराध के संबंध में फरियादी भगवतीबाई (अ०सा० 1) व हीराबाई (अ०सा० 2) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 12— अभियुक्तगण पर आरोपित भा०द०वि० की धारा 353 के अनुसार <u>"जो कोई किसी</u> ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिये प्रययित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दिण्डत किया जाएगा।"
- 13— अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि फरियादी भगवती बाई (अ0सा0 1) आगनवाडी कार्यकर्ता थी जो कि सर्वप्रथम तो लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है। फरियादी भगवतीबाई (अ0सा0 1) स्वयं के अनुसार अभियुक्तगण ने मात्र उसके साथ मामूली मुह—वाद किया था। अभियुक्तगण ने न तो इस साक्षी के दस्तावेज फाडे और न ही उसके साथ किसी प्रकार की कोई धक्का—मुक्की की। वहीं मुह—वाद होने का कारण भी किसी अंसार नामक व्यक्ति से फरियादी द्वारा राजीनामा न कराया जाना बताया गया है। जो यह दर्शित करता है कि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी के साथ गाली—गलौच किये जाने का उद्देश्य या कारण उसके द्वारा किये जा रहे कार्य से उसे निवारित करना नहीं था, बल्कि गाली—गलौच उसके द्वारा किये जा रहे कार्य से अलग विषय पर हुआ था। फरियादी स्वयं ही

मामूली मुह—वाद होना बतीती है तथा अभियुक्तगण द्वारा दस्तावेज फाडने व धक्का—मुक्की करने की घटना से इंकार करती है तथा इस साक्षी के स्वयं के अनुसार उसके कार्य में अभियुक्तगण ने कोई बाधा नहीं पहुँचाई, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को फरियादी के साथ गाली—गलौच कर मामूल मुह—वाद तो अवश्य किया था परन्तु फरियादी पर किसी भी प्रकार से आपराधिक बल का प्रयोग अभियुक्तगण के द्वारा नहीं किया गया था, मात्र पोलियों की दवा पिलाते समय अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ किया गया मामूली मुह—वाद भा0द0वि0 की धारा 353 की परिध में नहीं आता है।

- 14— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25.02.2013 को दिन में 12.30 बजे चन्द्रभान के मकान के सामने सडक पर ग्राम बडेरा में फरियादी भगवती बाई जो कि लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्यों को निर्वाहन कर रही थी, उसे कर्तव्यों से निवारित करने के आशय से उसके साथ धक्का—मुक्की कर कागज फाड कर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- 15— फलतः अभियुक्तगण त्रिलोक यादव व शिशुपाल यादव को भा०दं०वि० की धारा 353, के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण त्रिलोक यादव व शिशुपाल यादव के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाये एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)